

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग


बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 03 मई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यों की समयसीमा में संशोधन संबंधित।

राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न कार्यों की समयसीमा में संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्य	वर्तमान समयसीमा	प्रस्तावित संशोधन
1.	मौलिक पुस्तक लेखन हेतु प्रविष्टियां	01-05-2021	मौलिक पुस्तक लेखन हेतु प्रविष्टियां प्राप्त करने की समयसीमा 31-05-2021 तक बढ़ा दी गयी है।
2.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अपलोड करना	30 दिन के अंदर-6 अंक 60 दिन के अंदर-3 अंक 60 दिन के बाद- (-)6 अंक	तिमाही प्रगति रिपोर्ट (केवल चौथी तिमाही) का पूर्ण विवरण अपलोड करने की समयसीमा निम्नानुसार होगी: 60 दिन के अंदर 6 अंक 60 दिन के बाद- (-)6 अंक
3.	नराकास की बैठकें	कई बैठकें माह अप्रैल तथा मई में की जानी हैं	नराकास की माह अप्रैल तथा मई में की जानी वाली बैठकें अनिवार्य नहीं है।



(बी.एल मीना)

निदेशक (कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।
3. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव